संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक / रा.बी.स.नि. / 2014 / 435 भोपाल, दिनांक 1 / 10 / 2014

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 29 / 9 / 2014 के अनुक्रम में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का विद्यमान स्वरूप में 31 दिसम्बर 2014 तक क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा रूपये 2.00 करोड़ की राशि आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। राशि का वितरण एवं योजना का संचालन निम्नानुसार किया जावे :–

1. रूपये 2.00 करोड़ की राशि प्राप्त होने पर राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा की जावे।
2. राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को 50.00 लाख, इन्दौर को 50.00 लाख, ग्वालियर को 25.00 लाख, जबलपुर को 25.00 लाख, रीवा को 25.00 लाख एवं सागर को 25.00 लाख रूपये की राशि ई–बैंकिंग द्वारा ट्रॉन्सफर की जावे।
3. मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अन्तर्गत इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त इन्दौर, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त भोपाल, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त ग्वालियर, रीवा एवं शहडोल संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त रीवा एवं सागर संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त सागर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
4. प्रकरणों पर स्वीकृति आदेश संभागीय मुख्यालय पर पदस्थ संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जावेगा। आदेश की प्रति संभागीय संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं हितग्राही को भी पृष्ठांकित की जावें।
5. स्वीकृति आदेश के आधार पर संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा स्वीकृत की गई राशि ई–बैंकिंग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त अस्पताल को कॉक्लीयर इम्पालंट आपरेशन हेतु भेजेंगे एवं राशि भेजने की सूचना हितग्राही को भी दी जावे ।
6. चिकित्सा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त अस्पताल जिन्हें हितग्राही के कॉक्लीयर इम्पालंट आपरेशन हेतु राशि भेजी गई है, आपरेशन उपरान्त व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें को भेजेंगे।

1/10/14

7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 जनवरी 2015 तक अनिवार्य रूप से संकलित कर संचालक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य मिशन, बैंक ऑफ इंडिया, जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. को भेजेंगे। संचालक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य मिशन, उपयोगिता प्रमाण–पत्र संकलित कर सामाजिक न्याय विभाग को प्रेषित करेंगे।

8. राज्य स्वास्थ्य समिति / संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल आवश्यकता होने पर राशि को एक संभाग से दूसरे संभाग में हस्तांतरित कर सकेंगे। यह व्यवस्था 31 दिसम्बर 2014 तक प्रभावशील रहेगी। तत्पश्चात मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे ।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।)

1/10/14

(डॉ. के.एल. साहू)
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश.

पृ. क्र. / रा.बी.सा.नि.2014 / 436 भोपाल,दिनांक / / 10 / 2014

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव,म.प्र., शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,विभाग,मंत्रालय।
4. आयुक्त मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
5. समस्त आयुक्त, (राजस्व) मध्यप्रदेश।
6. मिशन संचालक, एन.एच.एम., बैंक ऑफ इडिया जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल।
7. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
8. संचालक चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. संचालक (वित्त) राज्य स्वास्थ्य, बैंक ऑफ इडिया जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल।
10. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
11. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय सयुंक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय म.प्र.।
14. शाखा प्रभारी एम.आई.एस.,स्थानीय कार्यालय। वेबसाईट पर अपलोड करें।

1/10/14

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश.